दिल्ली विधान समा तिचवालय समाचार भाग-2

१विधायी तथा अन्य मामलाँ ते संबंधित सामान्य जानकारी १ वृहस्पतिवार. ०९ जुलाई, 1998 / आघाद्र 18,1920१्शक१

संख्या : 41**₺**

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान तथा को तम्बोधित थाना ध्यक्ष, विकासपुरी, नई दिल्ली का निम्नलिखित तंदेश दिनांक 6.7.1998 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा को उनके 85 समर्थकों के साथ पुलिस थाना, विकास पुरो, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत् निर्देशों का पालन न करने परदिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत 5 जुलाई, 1998 को अपराहन 12 30 बजे नेज़रब्न्द किया गया ।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन यानी 5.7.98 को अपराह्न 12.40 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> पी. एन. गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

No.410

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the S.H.O., Vikas Puri, New Delhi on 06.07.1998:-

I have the honour to inform you that
Shri Mukesh Sharma, Hon'ble Member of Legislative
Assembly, Delhi alongwith his supporters was
detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978
for disobeying the lawful directions of Police from
Police Station, Vikas Puri, New Delhi at 12.30 P.M.
on 05.07.1998.

He alongwith his supporters was released at 12.40 P.M. on the same day i.e.05.07.1998."

P.N. GUPTA SECRETARY